



Neutral Citation No. – 2026:AHC:161155

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 8975/2026

अक्कू उर्फ अनुकल्प शर्मा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: मदन सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: जी.ए., महेंद्र कुमार सिंह चौहान

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मदन सिंह, सूचक के विद्वान अधिवक्ता श्री महेंद्र कुमार सिंह चौहान तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री घनश्याम मिश्रा को सुना गया।

2. यह तात्कालिक जमानत आवेदन विचारण के लंबित रहने के दौरान, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 615/2025 में, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2), 103(1), 61(2), 352, 351(3), 3(5) और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25/27 के तहत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस मामले की एफआईआर 29.09.2025 को रात 10:45 बजे दर्ज की गई थी। एफआईआर के अनुसार, 20.09.2025 को आवेदक और तीन अन्य आरोपियों ने शिकायतकर्ता के बेटे को तब रोका जब वह अपने दोस्त गौतम के साथ जा रहा था। इसके बाद आवेदक ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना को विष्णु रस्तोगी, नितिन सैनी, सुनील परी और प्रिंस त्यागी ने देखा था, लेकिन आवेदक पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।

4. इसके बाद वे कहते हैं कि असल में किसी ने भी असली घटना नहीं देखी थी; मृतक की लाश सड़क पर पड़ी थी और जब एसएचओ संजय कुमार ने इस बारे में जानकारी दी, तो तहकीकात की गई। यह बात जाँच रिपोर्ट से साफ़ है, जिसे इस ज़मानत अर्ज़ी के साथ लगाया गया है।

5. उनका अगला तर्क यह है कि पंचनामा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि यह 29.09.2025 को रात 20:45 बजे यानी एफआईआर से पहले किया गया था और पंचनामा में सूचक स्वयं एक गवाह था, किंतु तीन घंटे पश्चात उसने वर्तमान मामले की एफआईआर दर्ज कराकर आवेदक तथा अन्य तीन व्यक्तियों को आरोपित किया।

6. इसके बाद उन्होंने कहा कि एफआईआर के अनुसार, मृतक के साथ उसका दोस्त गौतम भी मौजूद था और घटना को चार गवाहों ने देखा भी था, लेकिन गौतम का बयान 15 दिन बाद और बाकी गवाहों के बयान 25 दिन बाद दर्ज किए गए। इससे साफ़ पता चलता है कि वे चश्मदीद गवाह नहीं थे और गवाह गौतम मृतक के साथ नहीं था। इन सभी बातों से साफ़ ज़ाहिर होता है कि पुरानी दुश्मनी की वजह से ही शिकायतकर्ता ने बहुत देर से एफआईआर दर्ज कराई और उसमें आवेदक व अन्य आरोपियों का नाम शामिल किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. उन्होंने आगे तर्क दिया कि भले ही इस मामले के अलावा आवेदक का दो अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास रहा है लेकिन उस आपराधिक इतिहास के बारे में स्पष्टीकरण दिया जा चुका है और दोनों मामलों में वह जमानत पर है।

8. इसके बाद उन्होंने कहा कि इस मामले में आवेदक 06.10.2025 से, यानी लगभग पिछले 10 महीनों से जेल में है।

9. इसके उलट, विद्वान एजीए और शिकायतकर्ता के वकील ने जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ही मुख्य अभियुक्त है, जिसने गोली मारकर मृतक की हत्या की थी। घटना के समय मृतक का दोस्त गौतम भी उसके साथ था और वह चश्मदीद गवाह है। साथ ही, विष्णु रस्तोगी, नितिन सैनी, सुनील पासी और प्रिंस त्यागी ने भी घटना देखी थी। इन सभी गवाहों ने अपने बयानों में साफ़ तौर पर कहा कि आरोपी ने गोली मारकर मृतक की हत्या की थी, लेकिन वे इस बात को नकार नहीं सके कि मृतक के दोस्त गौतम का बयान 15 दिन बाद और अन्य कथित चश्मदीद गवाहों के बयान 25 दिन बाद दर्ज किए गए थे।

10. वे इस बात से भी इनकार नहीं कर सके कि इस मामले की एफआईआर 29.09.2025 को रात 10:45 बजे दर्ज की गई थी और एफआईआर से पहले, 29.09.2025 को रात 8:45 बजे तहकीकात (मृत्यु की तहकीकात) की गई थी। तहकीकात से पता चलता है कि एसएचओ संजय कुमार को मृतक की मौत की सूचना मिली थी और उसके बाद तहकीकात की गई थी। तहकीकात के दौरान मामले का मुखबिर भी मौजूद था और वह तहकीकात का गवाह भी था, लेकिन इसके बावजूद उसने तुरंत यह बात नहीं बताई कि एफआईआर में नामजद आरोपी (आवेदक और अन्य) ने मृतक की हत्या की थी और मृतक के साथ उसका दोस्त गौतम भी मौजूद था; मुखबिर ने यह बात तीन घंटे बाद एफआईआर में बताई।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि इस मामले के अलावा, आवेदक का दो और मामलों में आपराधिक इतिहास है, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सके कि दोनों मामलों में आवेदक जमानत पर है और मौजूदा मामले में वह पिछले लगभग 10 महीनों से जेल में है।

12. मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी है और मामले के रिकॉर्ड को देखा है।

13. हालांकि, एफआईआर में आवेदक का नाम दूसरों के साथ शामिल है और एफआईआर के अनुसार, आवेदक मुख्य आरोपी था जिसने गोली मारकर मृतक की हत्या की थी, लेकिन यह माना गया है कि मामले का शिकायतकर्ता घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।

14. इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि इस मामले की एफआईआर बहुत देर से, यानी रात 10:45 बजे दर्ज की गई थी, जबकि घटना शाम 5:00 बजे हुई बताई जाती है।

15. इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के समय मृतक के साथ उसका दोस्त गौतम भी मौजूद था। उसने एफआईआर वाली बात ही दोहराई, लेकिन उसका बयान 15 दिन बाद दर्ज किया गया।

16. इसके अलावा, एफआईआर से भी यह पता चलता है कि एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने चार अन्य चश्मदीद गवाहों के नाम बताए थे, लेकिन उनके बयान 25 दिनों के बाद दर्ज किए गए और जांच अधिकारी ने इस बात का कोई कारण नहीं बताया कि इन महत्वपूर्ण गवाहों के बयान इतनी देर से क्यों दर्ज किए गए।

17. इसके अलावा, जाँच रिपोर्ट से भी पता चलता है कि यह एसएचओ संजय कुमार की दी गई जानकारी पर की गई थी कि मृतक की हत्या कर दी गई है। जाँच 29.09.2025 को रात 8:45 बजे की गई थी और उस समय सूचना देने वाला व्यक्ति भी मौजूद था और वह जाँच का गवाह भी था, लेकिन न तो जाँच से पहले और न ही जाँच के तुरंत बाद

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उसने एफआईआर दर्ज कराई; उसने तीन घंटे बाद एफआईआर दर्ज कराई। ऊपर बताई गई सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के वकील की इस दलील को इस चरण पर खारिज नहीं किया जा सकता कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि किसी ने भी असली घटना नहीं देखी और बाद में रात 10:45 बजे बहुत देर से सूचना देने वाले ने आवेदक और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और उन्हें फँसाया; क्योंकि ये सभी परिस्थितियाँ अदालत के मन में उचित संदेह पैदा करती हैं।

18. इसके अलावा, हालाँकि मौजूदा मामले के अलावा आवेदक का दो अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन उसके आपराधिक इतिहास के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है और वह दोनों मामलों में जमानत पर है।

19. इसके अलावा, मौजूदा मामले में भी आवेदक 06.10.2025 से यानी पिछले लगभग 10 महीनों से जेल में है।

20. इसलिए, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

21. इसी के अनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, यह जमानत अर्जी मंजूर की जाती है।

22. आवेदक – **अकू उर्फ अनुकल्प शर्मा** को संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार पेश करने पर उक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

(i) आवेदक को तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होना होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट न दी गई हो।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि वह व्यक्ति कोर्ट या किसी पुलिस अधिकारी को वे तथ्य न बताए, और न ही वह सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक या समाज-विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

23. अगर ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय में अर्जी देने के लिए स्वतंत्र होगा।

24. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत अर्जी के निपटारे के लिए पक्षों द्वारा पेश किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और इन टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

3 अगस्त 2026

शाहरोज़

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”